प्रेषक

निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला

सेवा में

राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी

यादी कमांक 1/88–2016–ई0गवर्नेंस

दिनांक: ०८.07..2016

विषयः सामान्य स्थानान्तरण – 2016 – प्राध्यापक वर्ग ।

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के यादी कमांक 1/88–2016–ई0गवर्नेंस दिनांक 3.6.2016 की निरन्तरता में ।

सभी स्थानान्तरण योग्य प्राध्यापक अपनी इच्छा अनुसार जिला, क्षेत्र (zone) एवं विद्यालय का वरीयता अनुसार विकल्प एमआईएस पार्टल पर दिनांक 8.07.2016 प्रातः 9:30 बजे से दिनांक 11.07.2016 रात्रि 11:59:59 बजे तक ऑनलाईल भर सकते हैं । इसके उपरान्त पोर्टल पर सुविधा उपलबध नहीं रहेगी । उपरोक्त तिथि व समय तक अपना विकल्प न देने वाले स्थानान्तरण योग्य प्राध्यापकों को विभाग किसी भी विद्यालय में लगाने हेतु स्वतन्त्र होगा और इसके लिये कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा । Profile correction request submit करने की अन्तिम तिथि 10.7.2016 सांय 5.00 बजे तक रहेगी ।

प्राध्यापकों की सुविधा हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्री विभाग की वैबसाईट www.schooleducationharyana.gov.in पर बनाये गये विशेष पेज "teacher transfer policy 2016' उपलब्ध है । फिर भी उनकी सुविधा के लिये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु नीचे दिये गये हैं:–

महत्वपूर्ण बिन्दु

कौन प्राध्यापक आवश्यक रूप से स्थानान्तरण के लिये योग्य होंगे

1. जिन प्राध्यापकों का कार्यकाल पांच वर्ष से कम है तथा उन्होने स्थानान्तरण करवाने के लिये दिनांक 24.6.2016 से 30.6.2016 तक 'हां' का विकल्प दिया है ।
2. जो प्राध्यापक पद समाप्त होने के कारण सरप्लस हुए हैं ।
3. जो प्राध्यापक अपने जोन में या विद्यालय में पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं ।
4. जिन अध्यापकों को मई और जून 2016 के महिने में प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया है और उनको विद्यालयों का भी आबंटन कर दिया गया है । वह सभी प्राध्यापक जिन्होने अपने नए विद्यालय में कार्य ग्रहण कर लिया है या नहीं, सभी के लिये स्थानानतरण का विकल्प देना आवश्यक होगा ।
5. जिन प्राध्यापकों का स्थानान्तरण दिनांक 31.3.2016 के पश्चात किया गया है ।
6. जो प्राध्यापक एकल सैक्शन उच्च विद्यालय में कार्यरत हैं जिनमें प्राध्यापकों के पद न भरने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है ।

अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

7. जो प्राध्यापक जिनका निजि प्रोफाईल या सर्विस प्रोफाईल या दोनों, किसी भी कारण से अप्रूव नहीं हुए हैं, ऐसे प्राध्यापक इस स्थानान्तरण ड्राईव में भाग नहीं ले सकेंगे । ऐसे प्राध्यापकों द्वारा ग्रहित पद को रिक्त समझा जायेगा । ऐसे प्राध्यापकों को स्थानान्तरण के बाद अपने जिला शिक्षा अधिकारी को प्रोफाईल पूरा न होने का कारण देते हुए आवेदन पत्र देना होगा । ऐसे प्राध्यापकों को विभाग द्वारा शेष बची हुई रिक्तियों के विरूद्व नीति के अनुसार बाद में विचारा जायेगा ।

8. इसी प्रकार उपर क्रमांक 1 से 6 तक अंकित श्रेणियों में आने वाले जो प्राध्यापक जिला, जोन और विद्यालय का विकल्प नहीं देते हैं, उन्हें भी विभाग किसी भी विद्यालय में लगाने हेतु स्वतन्त्र होगा और इसके लिये वह किसी लाभ का पात्र नहीं होगा ।

9. स्थानान्तरण ड्राईव में भाग लेने वाले प्राध्यापकों को विद्यालय का आबंटन उनके द्वारा पोर्टल पर दी गई जानकारी, जो कि उनके उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत की गई है, के आधार पर ही किया जायेगा । अतः पोर्टल पर किसी भी तरह की गलत सूचना देने हेतु संबंधित प्राध्यापक व स्वीकृत करने वाला अधिकारी दोषी माना जायेगा और गलत सूचना के आधार पर विद्यालय का आबंटन होने की स्थिति में किसी प्राध्यापक का कोई क्लेम स्वीकार्य नहीं होगा । संपूर्ण और सही डाटा उपलब्ध करवाने हेतु सभी अध्यापकों को 28.1.2016 के बाद पर्याप्त समय दिया जा चुका है ।

10. स्थानान्तरण के उपरान्त सभी प्राध्यापकों को उनके लॉग इन में उनके द्वारा चुने गये प्रत्येक विद्यालय का विवरण व प्राध्यापक को संबंधित विद्यालय न मिलने के कारण के साथ उपलब्ध होगा जिससे वे विद्यालय आबंटन न होने का कारण जान सकेंगे ।

11. जो प्राध्यापक अपने वर्तमान स्थान पर कार्यरत रहना चाहते हैं उनके लिये आवश्यक है कि अन्य स्थानों के लिये विकल्प चुनने के साथ–साथ उस विद्यालय में बने रहने का विकल्प भी चुन लें । यदि उनके द्वारा ग्रहित पद आवश्यक रूप से रिक्त रखने की श्रेणी में नहीं आता या किसी अन्य प्राध्यापक को आबंटित नहीं होता तो ऐसी स्थिति में प्राध्यापक अपने वर्तमान विद्यालय में अगले पांच वर्ष तक बने रह सकेंगे लेकिन पांच वर्ष से पूर्व उनका स्थानान्तरण उस विद्यालय से नहीं किया जायेगा । तत्पश्चात उनका स्थानान्तरण का आवेदन स्थानान्तरण नीति अनुसार जांचा जायेगा ।

12. **सरप्लस घोषित हुए प्राध्यापकों के लिये :**

    1. यदि कोई प्राध्यापक वरीयता के आधार पर सरप्लस घोषित हो जाता है और वह अन्यथा स्थानान्तरण नीति अनुसार आवश्यक रूप से स्थानान्तरण के योग्य नहीं बनता है । ऐसी स्थिति में यदि किसी अन्य प्राध्यापक ने स्थानान्तरण करवाने के लिये यदि 'हां' का विकल्प दिया है तो सरप्लस घोषित प्राध्यापक को वहां से स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा बशर्ते उसका पद आवश्यक रूप से रिक्त रखने की श्रेणी में न रखा गया हो ।

    2. यदि सरप्लस होने वाले विद्यालय में सरप्लस होने वाले प्राध्यापक का कार्यकाल पांच वर्ष से ज्यादा है और उससे कम कार्यकाल वाले प्राध्यापक जिनका कार्यकाल भी पांच वर्ष हो चुका है उपलब्ध हैं तो उपरोक्त प्रकिया में कम कार्यकाल वाला प्राध्यापक ही संरक्षित होगा ।

13. सभी प्राध्यापक अपने जिले, जोन व विद्यालय का विकल्प देने से पूर्व पूरी तरह से सोच विचार कर निर्णय लें । विकल्प प्रस्तुत करने के उपरान्त किसी तरह की शुद्धि करने की अनुमति नहीं मिलेगी ।

उपरोक्त बिन्दु सरल भाषा में प्रस्तुत करने हेतु लिखे गये हैं । कृपया विस्तृत जानकारी व अन्य शर्तो के लिये वैबसाईट पर उपलब्ध स्थानान्तरण नीति एवं अन्य पत्र जो विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये गये हैं का अवलोकन अवश्य कर लिया जाये ।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि विकल्प देने की अन्तिम तिथि से पहले सभी मुखिया उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा प्रोफाईल में बदलाव हेतु किये गये निवेदन को भी स्वीकार या अस्वीकार करें तथा यह सुनिश्चित करें कि किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी का प्रोफाईल में बदलाव का निवेदन (Profile correction request) unattended न रहे । निर्देशों की उल्लंघना की स्थिति में संबंधित मुखिया पर अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य होगी ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि फिलहाल केवल प्राध्यापक वर्ग से ही स्थानान्तरण हेतु विकल्प मांगे गये हैं । प्राध्यापकों की सुविधा के लिये हैल्पलाईन नं0 01725206666 कार्यालय समय के दौरान उपलब्ध रहेगी जिस पर एक समय में चार व्यक्ति काल कर सकते हैं।

प्रौद्योगिकी अधिकारी
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक 1/88–.2016.ई.गर्वनैंस दिनांकः 08/07/2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला ।
2. निदेशक एससीईआरटी, हरियाणा, गुड़गांव ।

प्रौद्योगिकी अधिकारी
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला

पृष्ठांकन क्रमांक –सम– दिनांकः 08/07/2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :–

1. वरिष्ठ सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा, हरियाणा ।
2. पी0ए0/निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला ।
3. पी0ए0/निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला
4. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I,II,III
5. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन मौलिक/पी0ए0संयुक्त निदेशक प्रशासन मौलिक

प्रौद्योगिकी अधिकारी
कृते: निदेशक माध्यमिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकुला